व्यापार की योजना

पर

आय सृजन गतिविधि

खाद्य प्रसंस्करण – अचार बनाना

के लिए

स्वयं सहायता समूह – अनपूर्णा

SHG/CIG नाम	अनपूर्णा
वीएफडीएस नाम	त्रिन्द महादेव
श्रेणी	जयसिंहपुर
विभाजन	पालमपुर

के तहत तैयार-

हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन एवं आजीविका सुधार परियोजना (जेआईसीए सहायता प्राप्त)

<u>विषय-सूची</u>

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक.
1.	परिचय	3
2.	एसएचजी/सीआईजी का विवरण	4
3.	लाभार्थियों का विवरण	5
4.	गांव का भौगोलिक विवरण	6
5.	बाजार की संभावना	6
6.	कार्यकारी सारांश	6
7.	आय से संबंधित उत्पाद का विवरण गतिविधि उत्पन्न करना	7
8.	उत्पादन प्रक्रियाओं का विवरण	7
9.	अचार बनाने का व्यवसाय अनुपालन	7
10.	उत्पादन योजना	8
11.	बिक्री और विपणन का विवरण	8
12.	स्वोट अनालिसिस	9
13.	सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण	9
14.	अर्थशास्त्र का विवरण	10-11
15.	लागत लाभ विश्लेषण (प्रति माह)	11
16.	निधि की आवश्यकता	12
17.	निधि के स्रोत	12
18.	प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन	13
19.	ब्रेक-ईवन बिंदु की गणना	13
20.	बैंक ऋण चुकौती	13
21.	निगरानी विधि	13-14
22.	टिप्पणी	14
23.	समूह सदस्य की व्यक्तिगत तस्वीरें	15
24.	समूह फोटो	16
25.	संकल्प-सह-समूह सर्वसम्मति प्रपत्र	17
26.	वीएफडीएस और डीएमयू द्वारा व्यावसायिक अनुमोदन	18

1.परिचय-

साधारण नमक, सिरका, तेल या खट्टे फलों के रस में संरक्षित फलों और सब्जियों को अचार कहा जाता है। अचार आमतौर पर सब्जियों और फलों के मिश्रण से बनाया जाता है। इन्हें खाने के साथ एक स्वादिष्ट, मसालेदार संगत के रूप में खाया जाता है। अचार बनाने के लिए फलों या सब्जियों को नमकीन पानी या सिरके के घोल में डुबोया जाता है और कुछ समय के लिए संग्रहीत किया जाता है, जिसके दौरान सामग्री अचार बनाने की प्रक्रिया से गुजरती है और वांछित स्वाद प्राप्त करती है। अचार आमतौर पर स्वाद में मीठा या खट्टा होता है और अक्सर मसालेदार होता है। वे मुख्य सामग्री का स्वाद लेते हैं जो कि वह सब्जी या फल है जिससे अचार बनाया जाता है। अचार के लिए मुख्य रूप से आम, नींबू, गाजर, करेला, बीन्स, मिर्च, लहसुन, अदरक, बैंगन और प्याज का प्रसंस्करण किया जाता है।

अचार बनाने के व्यवसाय का सबसे आकर्षक पहलू यह है कि इसे समूह की वित्तीय क्षमता के अनुसार शुरू किया जा सकता है और बाद में जब भी SHG का वित्तीय पोर्टफोलियो बेहतर हो जाए, तो व्यवसाय को किसी भी स्तर तक बढ़ाया जा सकता है। एक बार जब उत्पाद ग्राहकों को पसंद आ जाता है तो व्यवसाय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है।

इस IGA (आय सृजन गतिविधि) में शामिल होने से पहले बाजार की संभावनाओं और विभिन्न पहलुओं पर बहुत सावधानी से चर्चा करने के बाद, अनपूर्णा SHG समूह ने सामूहिक रूप से अचार बनाने को अपनी आय सृजन गतिविधि (IGA) के रूप में चुना है। अनपूर्णा SHG का गठन हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका (JICA सहायता प्राप्त) के सुधार के लिए परियोजना के तहत किया गया है, जो VFDS त्रिंद महादेव के अंतर्गत आता है। इस SHG में 13 महिलाएँ हैं। इन महिलाओं को पहले से ही अचार बनाने का अनुभव था और अब इस परियोजना के वित्तपोषण, प्रशिक्षण और सहायता की मदद से वे बड़े पैमाने पर अचार का निर्माण कर सकेंगी और आत्मनिर्भर होकर आय अर्जित कर सकेंगी। इसलिए SHG ने अपनी निवेश क्षमता, विपणन और प्रचार रणनीति के अनुसार एक विस्तृत व्यवसाय योजना तैयार की है और विस्तृत कार्य योजना पर नीचे चर्चा की जाएगी:

2.एसएचजी/सीआईजी का विवरण

1.	एसएचजी/सीआईजी नाम	अनपूर्णा
2.	वीएफडीएस	त्रिन्द महादेव
3.	श्रेणी	जयसिंहपुर
4.	विभाजन	पालमपुर
5.	गाँव	बसुन भगलाड
6.	अवरोध पैदा करना	लंबागांव
7.	ज़िला	कांगड़ा
8.	एसएचजी में सदस्यों की कुल संख्या	8
9.	गठन की तिथि	20.09.2022
10.	बैंक खाता सं.	50075020449
11।	बैंक विवरण	केसीसी बैंक गंदर मरेरा आईएफएससी कोड KACE0000203
12.	एसएचजी/सीआईजी मासिक बचत	50 प्रति सदस्य
13.	कुल बचत	2600
14.	कुल अंतर ऋण	-
15.	नकद क्रेडिट सीमा	-
16.	पुनर्भुगतान स्थिति	-

3.लाभार्थियों का विवरण

क्र.सं.	नाम	एम/ एफ	पिता/पति का नाम	वर्ग	पद का नाम	संपर्क नंबर।
1	शशि बाला	एफ	अरुण कुमार	सामान्य	परधान	8219950128
2	सुमन देवी	एफ	अनिल कुमार	सामान्य	सचिव	8894255424
3	कंचना देवी	एफ	रमेश राणा	सामान्य	सदस्य	9816679570
4	सुषमा देवी	एफ	चरण जीत	सामान्य	सदस्य	7807945722
5	भुजला देवी	एफ	कुशाल सिंह	सामान्य	सदस्य	8894229687
6	इंदिरा कुमारी	एफ	प्यार सिंह	सामान्य	सदस्य	
7	रीता देवी	एफ	कुमेर सिंह	सामान्य	सदस्य	6363512960
8	रक्षा देवी	एफ	रविंदर कुमार	सामान्य	सदस्य	9816704073

4. गांव का भौगोलिक विवरण

1	जिला मुख्यालय से दूरी	85 किमी
2	मुख्य सड़क से दूरी	50 मीटर
3	स्थानीय बाजार का नाम एवं दूरी	जयसिंहपुर और 20 किमी
4	मुख्य बाजार का नाम एवं दूरी	जयसिंहपुर और 20 किमी
5	मुख्य शहरों के नाम एवं दूरी	✧ पालमपुर और 30किमी
6	मुख्य शहरों का नाम जहां उत्पाद बेचा/विपणन किया जाएगा	✧ पालमपुर और 30 कि.मी.

5. बाजार की संभावनाएं-

घरेलू और निर्यात दोनों ही बाज़ारों में अचार का बाज़ार लगातार बढ़ रहा है। अचार की लोकप्रिय किस्में हैं आम का अचार, नींबू का अचार, मिक्स वेजिटेबल, लाल मिर्च का अचार आदि। अदरक, लहसुन मशरूम के अचार ने भी हाल के वर्षों में लोकप्रियता हासिल की है। अचार बाज़ार में आने वाले सबसे शुरुआती व्यावसायिक उत्पादों में से एक है जो फलों और सब्जियों के परिरक्षण का उत्पाद है। बाज़ार में अचार के कई ब्रांड उपलब्ध हैं, फिर भी नए ब्रांड और स्वादिष्टता के लिए अच्छे पैमाने मौजूद हैं।

6.कार्यकारी सारांश-

इस स्वयं सहायता समूह द्वारा खाद्य प्रसंस्करण (अचार बनाना) आय सृजन गतिविधि का चयन किया गया है। यह IGA इस स्वयं सहायता समूह की सभी महिलाओं द्वारा किया जाएगा। यह व्यवसायिक गतिविधि समूह के सदस्यों द्वारा सालाना की जाएगी। अचार बनाने की प्रक्रिया में लगभग 3-7 दिन लगते हैं। उत्पादन प्रक्रिया में सब्जियों को धोना, काटना, नमकीन पानी डालना, नमक निकालना, प्रजाति, तेल डालना और परिरक्षक डालना और अंत में पैकिंग जैसी प्रक्रियाएँ शामिल हैं। शुरुआत में समूह एक प्रकार का अचार बनाएगा लेकिन भविष्य में समूह अचार की किस्मों को बढ़ाते हुए अन्य अचार उत्पाद बनाएगा जो उसी प्रक्रिया का पालन करते हैं। उत्पाद को शुरू में समूह द्वारा सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से खुदरा विक्रेताओं और पास के बाजार के थोक विक्रेताओं के माध्यम से बेचा जाएगा।

7.आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण-

1	उत्पाद का नाम	अचार बनाना
2	उत्पाद पहचान की विधि	समूह के सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया है
3	एसएचजी/सीआईजी/क्लस्टर सदस्यों की सहमति	हाँ

8. उत्पादन योजना -

1	अचार बनाने का उत्पादन चक्र (दिनों में)	3-7 दिन
2	प्रति चक्र आवश्यक मानव शक्ति (संख्या)	सभी महिलाएं
3	कच्चे माल का स्रोत	स्थानीय बाजार/मुख्य बाजार
4	अन्य संसाधनों का स्रोत	स्थानीय बाजार / मुख्य बाजार
5	प्रति माह आवश्यक मात्रा (किग्रा)	1000 किलोग्राम
6	प्रति माह अपेक्षित उत्पादन (किग्रा)	1000 किलोग्राम

कच्चे माल की आवश्यकता एवं अपेक्षित उत्पादन।

क्र.सं.	कच्चा माल	इकाई	समय	मात्रा(लगभग)	मात्रा प्रति किलोग्राम (रु. में)	कुल राशि	अपेक्षित उत्पादन प्रति माह (किग्रा)
1	सब्ज़ियाँऔर फल	किलो ग्राम	महीने के	700	50	25,000	1000

9. बिक्री एवं विपणन का विवरण -

1	संभावित बाज़ार स्थान	जयसिंहपुर, शिवनगर
2	इकाई से दूरी	जयसिंहपुर - 20 किमी
3	उत्पादन बाज़ार/स्थानों की मांग	दैनिक मांग
4	बाजार की पहचान की प्रक्रिया	समूह के सदस्य अपनी उत्पादन क्षमता और बाजार की मांग के अनुसार खुदरा या थोक विक्रेता की सूची का चयन करेंगे। प्रारंभ में उत्पाद को नजदीकी बाजारों में बेचा जाएगा।
5	उत्पाद की विपणन रणनीति	स्वयं सहायता समूह के सदस्य सीधे अपने उत्पाद को गांव की दुकानों और निर्माण स्थल/दुकान से बेचेंगे। इसके अलावा, खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेताओं के माध्यम से भी नजदीकी बाजारों में उत्पाद बेचे जाएंगे। शुरुआत में उत्पाद 1/2 और 1 किलोग्राम की पैकेजिंग में बेचा जाएगा।
6	उत्पाद ब्रांडिंग	सीआईजी/एसएचजी स्तर पर उत्पाद का विपणन सीआईजी/एसएचजी ब्रांडिंग द्वारा किया जाएगा। बाद में इस आईजीए को क्लस्टर स्तर पर ब्रांडिंग की आवश्यकता हो सकती है
7	उत्पाद "नारा"	"अनपूणा अचार स्वयं सहायता समूह का एक उत्पाद"

12. स्वोट अनालिसिस-

- ताकत-
  - कच्चा माल आसानी से उपलब्ध है।
  - विनिर्माण प्रक्रिया सरल है.
  - उचित पैकिंग और परिवहन में आसान।
  - उत्पाद का शेल्फ जीवन लंबा है।
  - घर का बना, कम लागत.

- कमजोरी-
  - विनिर्माण प्रक्रिया/उत्पाद पर तापमान, आर्द्रता, नमी का प्रभाव।
  - अत्यधिक श्रम गहन कार्य.
  - अन्य पुराने और प्रसिद्ध उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करें।

- अवसर-
  - इसमें लाभ के अच्छे अवसर हैं क्योंकि उत्पाद की लागत अन्य समान श्रेणी के उत्पादों की तुलना में कम है।
  - दुकानों, फास्ट फूड स्टालों, खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं, कैंटीन, रेस्तरां, शेफ और रसोइयों, गृहिणियों में उच्च मांग।
  - बड़े पैमाने पर उत्पादन के साथ विस्तार की संभावनाएं हैं।
  - दैनिक खपत। और सभी मौसमों में सभी खरीदारों द्वारा खपत।

- खतरे/जोखिम-
  - विनिर्माण एवं पैकेजिंग के समय तापमान एवं नमी का प्रभाव, विशेषकर सर्दियों एवं बरसात के मौसम में।
  - कच्चे माल की कीमत में अचानक वृद्धि।
  - प्रतिस्पर्धी बाजार.

13. सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण-

आपसी सहमति से स्वयं सहायता समूह के सदस्य कार्य करने के लिए अपनी भूमिका और जिम्मेदारी तय करेंगे। सदस्यों के बीच उनकी मानसिक और शारीरिक क्षमता के अनुसार कार्य का बंटवारा किया जाएगा।

- कुछ समूह सदस्य पूर्व-उत्पादन प्रक्रिया (अर्थात कच्चे माल की खरीद आदि) में शामिल होंगे।
- कुछ समूह सदस्य उत्पादन प्रक्रिया में शामिल होंगे।
- समूह के कुछ सदस्य पैकेजिंग और विपणन में शामिल होंगे।

14. अर्थशास्त्र का विवरण -

ए. पूंजीगत लागत				
क्र. सं.	विवरण	मात्रा	यूनिट मूल्य	राशि (रु.)
1	ग्राइंडर मशीन	1	18,000	18,000
2	तैयार उत्पाद रैक/अलमारी	1	8,000	8,000
3	लोहे के रैक		रास	7,000
4	रसोईघर के उपकरण		रास	17,000
5	हाथ से संचालित जार सीलिंग मशीन	1	15,000	15,000
6	एप्रन, दस्ताने, टोपी आदि		रास	6,500
कुल पूंजी लागत (ए) =				71,500

बी. आवर्ती लागत					
एस। नहीं।	विवरण	अवधि	मात्राकिलो ग्राम में	इकाई मूल्य/किग्रा	कुल राशि (रु.)
1	कच्चा माल (किलोग्राम में)	महीना	700	50	35,000
2	कच्चा माल मसाला (किग्रा में)	महीना	300	150	45,000
3	पैकेजिंग सामग्री	महीना	रास	6,000	6,000
4	परिवहन	महीना	1	1,000	1,000
5	अन्य(स्थिर,बिजली बिल आदि)	महीना	1	1,000	1,000
कुल आवर्ती लागत (बी) =					88,000

नोट – समूह के सदस्य स्वयं कार्य करेंगे, इसलिए श्रम लागत इसमें शामिल नहीं की गई है तथा सदस्य आपस में मिलकर कार्यसूची का प्रबंध करेंगे।

□□□□□□न लागत:

सी. उत्पादन की लागत		
क्र. सं.	विवरण	मात्रा
1	कुल आवर्ती लागत	88,000
2	पूंजीगत लागत पर 10% वार्षिक मूल्यह्रास	7150
कुल = 95,150		

डी. विक्रय मूल्य गणना			
क्र. सं.	विवरण	इकाई	राशि रु.
1	उत्पादन की लागत	किलोग्राम	120
2	वर्तमान बाजार मूल्य	किलोग्राम	150-250
3	अपेक्षित विक्रय मूल्य	किलोग्राम	200

15. लागत लाभ विश्लेषण (मासिक)

लागत लाभ विश्लेषण (मासिक)		
एस। नहीं।	विवरण	मात्रा
1	कुल आवर्ती लागत	88,000
2	कुल बिक्री राशि	2,00,000
3	शुद्ध लाभ (बिक्री राशि - आवर्ती लागत)	112000
4	शुद्ध लाभ का वितरण	✧ लाभ को मासिक/वार्षिक आधार पर सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा। ✧ लाभ का उपयोग आवर्ती लागत को पूरा करने के लिए किया जाएगा। ✧ लाभ का उपयोग आईजीए में आगे निवेश के लिए किया जाएगा

16. स्वयं सहायता समूह में निधि प्रवाह व्यवस्था -

क्र. सं.	विवरण	कुल राशि (रु.)	परियोजना योगदान	स्वयं सहायता समूह योगदान
1	कुल पूंजी लागत	71500	53,625	17,875
2	कुल आवर्ती लागत	88,000	0	88,000
3	प्रशिक्षण/क्षमताभवन निर्माण/कौशल उन्नयन।	50,000	50,000	0
कुल		209500	103,625	105,875

टिप्पणी:
i) पूंजीगत लागत- 75% पूंजीगत लागत परियोजना द्वारा तथा 25% स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन की जाएगी।
ii) आवर्ती लागत- स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन की जाएगी।
iii) प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन का खर्च परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा।

17. निधि के स्रोत -

परियोजना समर्थन	✧ यदि सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/गरीब महिला वर्ग से हैं तो परियोजना द्वारा पूंजी लागत का 75% वहन किया जाएगा। यदि सदस्य सामान्य वर्ग से हैं तो परियोजना द्वारा पूंजी लागत का 50% वहन किया जाएगा। ✧ स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते में 1 लाख रुपए तक की धनराशि जमा की जाएगी। ✧ प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन लागत। ✧ 5% ब्याज दर की सब्सिडी सीधे डीएमयू द्वारा बैंक/वित्तीय संस्थान में जमा की जाएगी और यह सुविधा केवल तीन वर्षों के लिए होगी। स्वयं सहायता समूहों को नियमित आधार पर मूलधन की किश्तों का भुगतान करना होगा।	खरीद मशीनों/उपकरणों की संख्याइसके बाद संबंधित डीएमयू/एफसीसीयू द्वारा जांच की जाएगी। सभी औपचारिकताओं का पालन करते हुए।
स्वयं सहायता समूह योगदान	✧ सामान्य श्रेणी और अन्य श्रेणियों के लिए पूंजीगत लागत का 50% या 25% क्रमशः स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन किया जाएगा। ✧ आवर्ती लागत स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन की जाएगी।	

18. प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन -

प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन लागत परियोजना द्वारा वहन की जाएगी। निम्नलिखित कुछ प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन प्रस्तावित/आवश्यक हैं:

- कच्चे माल की लागत प्रभावी खरीद
- गुणवत्ता नियंत्रण
- पैकेजिंग और विपणन
- वित्तीय प्रबंधन

19. ब्रेक-ईवन बिंदु की गणना -

= पूंजीगत व्यय/(विक्रय मूल्य (प्रति किग्रा)-उत्पादन लागत (प्रति किग्रा))

= 1,19,500/(200-120)

= 1494 किलोग्राम

इस प्रक्रिया में 1494 किलोग्राम अचार बेचने के बाद लाभ-हानि की स्थिति प्राप्त हो जाएगी।

20. बैंक ऋण चुकौती-

यदि ऋण बैंक से लिया गया है तो यह नकद ऋण सीमा के रूप में होगा और सीसीएल के लिए कोई पुनर्भुगतान अनुसूची नहीं है; तथापि, सदस्यों से मासिक बचत और पुनर्भुगतान रसीद सीसीएल के माध्यम से प्राप्त की जानी चाहिए।

- सीसीएल में, एसएचजी के बकाया मूल ऋण का भुगतान वर्ष में एक बार बैंकों को किया जाना चाहिए। ब्याज राशि का भुगतान मासिक आधार पर किया जाना चाहिए।

- सावधि ऋणों में, पुनर्भुगतान बैंकों में निर्धारित पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार किया जाना चाहिए।

- परियोजना सहायता - 5% ब्याज दर की सब्सिडी सीधे डीएमयू द्वारा बैंक/वित्तीय संस्थान में जमा की जाएगी तथा यह सुविधा केवल तीन वर्षों के लिए होगी। एसएचजी/सीआईजी को नियमित आधार पर मूलधन की किश्तों का भुगतान करना होगा।

21. निगरानीतरीका-

- वीएफडीएस की सामाजिक लेखा परीक्षा समिति आईजीए की प्रगति और निष्पादन की निगरानी करेगी तथा प्रक्षेपण के अनुसार इकाई का संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होने पर सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देगी।

- स्वयं सहायता समूह को प्रत्येक सदस्य की आईजीए की प्रगति और निष्पादन की समीक्षा करनी चाहिए तथा प्रक्षेपण के अनुसार इकाई का संचालन सुनिश्चित करने के लिए यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना चाहिए।

- निधि प्रबंधन
- निवेश
- आय पीढ़ी
- उत्पाद की गुणवत्ता

22.टिप्पणी

यह समूह कच्चे माल की उपलब्धता और बाजार की प्रतिक्रिया के आधार पर मौसमी सब्जियों का अचार बनाएगा।

23.समूह सदस्य की व्यक्तिगत तस्वीरें

शशि बाला

सुमन देवी

कंचना देवी

सुषमा देवी

रक्षा देवी

भुजला देवी

सुमना देवी

रीता देवी

24.समूह फोटो:

25.संकल्प-सह-समूह सर्वसम्मति प्रपत्र

Revised

Resolution-cum-Group-consensus Form

It is decided in the General house meeting of the group Anpurna held on 11-01-24 at Trind Mahadev that our group will undertake the Pickle Making as livelihood Income Generation Activity under the Project for Implementation of Himachal Pradesh Forest Ecosystem management and Livelihood (JICA assisted).

Shashi Bala
Signature of group President

Suman Devi
Signature of group secretary

Signature of President VFDS

26.वीएफडीएस और डीएमयू द्वारा व्यावसायिक अनुमोदन

Revised

Business Plan Approval by VFDS and DMU

Anpurna Group will undertake the Pickle Making as Livelihood Income Generation Activity under the Project for Implementation of Himachal Pradesh Forest Ecosystem Management and Livelihood (JICA assisted). In this regard business Plan of Amount Rs. 209500 has been submitted by the group on 11-01-24 and the business Plan has been approved by VFDS Trind Mahadev

Business Plan is submitted to DMU through FTU for further action please.

Thank You.

Shashi Bala
Signature of group President

Suman Devi
Signature of group secretary

Lalita Devi
Signature of President VFDS

ग्राम वन विकास समिति त्रिन्ड महादेव
ग्राम पंचायत [illegible]
डा. जयसिंहपुर
[illegible] कांगड़ा

Approved

DMU cum DFO Palampur